अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 402/2012

लालो मंडल –– अपीलार्थी

वनाम

मनोज प्र० चौधरी एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 21.07.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 20/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि मौजा–हरिराहा, थाना– करजाईन, जिला– सुपौल के खाता पुराना–18, खेसरा संख्या–1548, रकवा–0.14 डी० जिसका चौहद्दी उत्तर–खुशी लाल मंडल, दक्षिण–रघुनी मंडल, पूरब–रघुनी मंडल, पश्चिम–सड़क अपीलार्थी एवं उनके तीन पुत्रों को अंचल राघोपुर से निर्गत बासगीत पर्चा संख्याः 9/98–98 के माध्यम से प्राप्त है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अंचल अधिकारी, राघोपुर द्वारा निर्गत उपरोक्त बासगीत पर्चा के आधार पर बासगीत पर्चाधारी के नाम से दाखिल खारिज आदेश पारित किया गया एवं जमाबंदी संख्याः 165 अपीलार्थी के नाम से कायम हुआ जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा बिहार सरकार को मालगुजारी का भुगतान किया जाता रहा है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि बंदोबस्ती के पश्चात् अपीलार्थी अपने तीनों पुत्र एवं परिवार के साथ उक्त पर्चा की भूमि पर मकान बनाकर रहते आए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट अंजनी देवी एवं उनके तीन पुत्रों द्वारा जाली एवं मिथ्या केवाला दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत बासगीत पर्चा वाली 14 डी० भूमि में से 0.4 डी० भूमि से अपीलार्थी/वादी को बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया तथा रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा फूस का मकान एवं टीना का घर बना लिया गया। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोण्डेन्ट से बार–बार भूमि खाली करने का अनुरोध करने के बावजूद भूमि खाली करने से मना कर दिया गया जिसके बाद प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में दायर किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट संख्या–2 से 5 द्वारा उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल किया गया तथा यह कथन किया गया कि उनके द्वारा रेस्पोण्डेन्ट संख्या–1 मनोज कुमार से भूमि का क्रय किया गया है एवं वे

गया कि उन्होंने 5 कट्ठा भूमि में से 1 कट्ठा 18 धूर भूमि रेस्पोण्डेन्ट संख्या–6 खुशीलाल मंडल को बिक्री कर दिया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात के अवलोकनोपरांत उक्त वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 2 से 5 द्वारा समान मुद्दा के लिए बासगीत मिस. वाद 123/2009 समाहर्त्ता सुपौल के न्यायालय में दायर किया गया है जो लंबित है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि मौजा हरिराहा के खाता 18 खेसरा पुराना 1546, 1548 नया 2123 का कुल रकबा 2.06.0 धूर जमीन मनोज चौधरी पे0 हरिहर चौधरी की है वो खाता पुराना 1546,1548 नया 2123 से प्रतिवादी अजान देवी के नाम से वजरिये केवाला संख्या 2735/1997 को खरीद है। उक्त 5 कट्ठा जमीन में प्रतिवादी का धर दरवाजा बना हुआ है। उक्त 5 कट्ठा जमीनर को पूरब अपीलार्थी/वादी लालो मंडल का घर दरवाजा है वो अंचल अमला को मिलाकर वाला वाला तरीके से लालो मंडल, दुखी मंडल वो तेज नारायण मंडल बासगीत पर्चा बना लिया है जबकि उस जमीन पर उनका घर दरवाजा नहीं है। रेस्पोण्डेन्ट/पतिवादी को जब इस बात की जानकारी हुई तो रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी समाहर्त्ता सुपौल के न्यायालय में बासगसीत पर्चा मिस. वाद संख्या 123/09 अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध दाखिल किया जो लंबित बतलाते हैं।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में *उभय पक्षों के बीच मामला समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में लंबित है। उभय पक्ष समाहर्त्ता के न्यायालय में उपस्थित हैं। समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में पूर्व से लंबित बासगीत पर्चा विविध वाद संख्याः–123/09 के मूद्दे वही हैं जो वर्त्तमान मोकदमा का मुद्दा है। चुंकि एक ही मुद्दा का वाद पूर्व से समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में लंबित है अस्तु वादी के आवेदन पर तत्काल किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायहित में नहीं होगा क्योंकि समाहर्त्ता, के न्यायालय से जबतक बासगीत पर्चा विविध वाद में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक उभय पक्ष यथास्थिति बनाए रखें।*

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया, पाया कि ***उभय पक्षों के बीच बासगीत विविध वाद संख्या 123/09 समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में पूर्व से लम्बित है एवं उसमें मुद्दे वही हैं जो प्रस्तुत वाद का मुद्दा है।*** अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/1/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

23/1/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा